भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 671

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

वर्षा जल संचयन

671. श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री मनोज तिवारी:
श्रीमती मालविका देवी:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री विद्युत बरन महतो:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री शंकर लालवानी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती पूनमबेन माडस:
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री लुम्बा राम:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) देश में पानी की बढ़ती कमी और इसके असमान वितरण से निपटने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पानी की भारी कमी का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा महाराष्ट्र के पालघर जिले में तत्संबंधी क्या तैयारियां की गई हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) वर्षा जल संचयन के बारे में गांवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है। देश में जल की बढ़ती कमी और जल के असमान वितरण के प्रबंधन के प्रयास राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में जल की कमी के समाधान हेतु जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:-

i. भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं।

ii. 15 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के तहत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमे अन्य बातों के साथ साथ वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। चालू वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जेएसए की पाँचवीं श्रृंखला में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है । जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल शहरी परिवर्तन और नवीकरण मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का अभिसरण है। इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में से एक छत के वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत शामिल है।

iv. अटल शहरी परिवर्तन और नवीकरण मिशन (अमृत) 2.0 में स्टॉर्म जल निकासी के माध्यम से जल निकायों (जो सीवेज/प्रवाह प्राप्त नहीं कर रहे हैं) में वर्षा जल संचयन का प्रावधान हैं। शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए रोडमैप विकसित करते हुए शहरों द्वारा भूजल पुनर्भरण संवर्धन की कार्यनीति तैयार करने के लिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं को तैयार किया गया है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण प्रथाओं के विषय पर जागरूकता का सृजन किया जाता है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों हेतु अपनाए जाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपाय एवं दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014

जिनमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

vi. भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 8,213 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों (जीपी) में अटल भूजल योजना लागू किया जा रहा है । यह योजना भूजल विकास से भूजल प्रबंधन तक एक आदर्श परिवर्तन का द्योतक है।

vii. भारत सरकार द्वारा खेत में जल की प्रत्यक्ष पहुंच में वृद्धि और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं आदि को लागू करने के उद्देश्य से "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई के तीन घटक/योजनाएं हैं, नामतः हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना।

viii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.10.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की गई है, जो देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योगों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।

ix. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नैक्यूम) परियोजना पूरी कर ली गई है जिसे कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

x. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 भी तैयार की गई है जो एक वृहद स्तरीय योजना है जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं को दर्शाया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा के संचयन के लिए देश में लगभग 142 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

xi. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए देश में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त भूजल वैज्ञानिक परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है।

xii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर जोर दिया गया है। इसमें वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

xiii. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा पोषित और बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत की जा रही गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है।

xiv. ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संस्थापना की गतिविधि को पंचायतों के लिए पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किया गया है ताकि वे इसे 15वें वित्त आयोग (एफसी) निधि अथवा उनके पास उपलब्ध किसी अन्य निधि द्वारा निष्पादन के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन कर सकें।

xv. राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय का उद्देश्य "एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण, अपव्यय को कम करना और राज्य तथा राज्यों में इसका अधिकतम समान वितरण सुनिश्चित करना" है।

(ग): जल राज्य का विषय है। जल स्त्रोतों के प्रभावी प्रबंधन और जल की अत्यधिक कमी का समाधान करने के प्रयास राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली और महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में जल की कमी का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों (**दिल्ली और चंडीगढ़ के अतिरिक्त**) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य जैसे जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान पालगढ़, महाराष्ट्र जिले में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संचयन के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में जल की अत्यधिक कमी का समाधान करने तथा इस संबंध में अन्य तैयारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा छोटे पैमाने पर सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों/स्कीमों की देखरेख के लिए मृदा और जल संरक्षण विभाग की स्थापना की गई है। पालगढ़ जिले में अब तक 4688 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता और 9521 हजार मिलियन घन (टीसीएम) की जल भंडारण क्षमता वाली 182 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा, जिले में 1989 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और 4723 टीसीएम की जल भंडारण क्षमता के साथ 45 योजनाएं लागू की गई हैं। पिछले पांच वर्षों में इन स्कीमों के लिए जारी निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। उपर्युक्त कार्यों/स्कीमों के अलावा, महाराष्ट्र में जल की कमी के समाधान के लिए विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार की स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं जैसे

जलयुक्त शिवर मिशन 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान, गलमुक्त धारण गलयुक्त शिवर (बांधों से गाद निकालना) आदि ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और जल की कमी को दूर करने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई गई है। इसमें जलभृत पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संसाधनों का संवर्धन, अवसंरचनात्मक सुधार यथा जल उपचारी संयंत्रों की क्षमता के संवर्धन के साथ साथ जल के अंतरण, वितरण के दौरान और जल की चोरी के कारण होने वाली जल की क्षति को फ़्लो - मीटरों के संस्थापन के माध्यम से कम करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, जल स्तर में परिवर्तनों की मॉनिटरिंग करने और भूजल स्तर में दीर्घावधि उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले सहित देश भर में भूमि जल स्तर की आवधिक रूप से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पालगढ़ जिले में, सीजीडब्ल्यूबी के 34 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, सीजीडब्ल्यूबी के 135 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा पीजोमीटर के निर्माण सहित टेलीमेट्री प्रणाली के साथ डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर (डीडब्ल्यूएलआर) की संस्थापना के लिए भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) के अंतर्गत इस परियोजना को भी अनुमोदित किया गया है।

(घ): वर्षा जल संचयन पर गांवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन सहित विभिन्न विषयों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), अधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।

ii. राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) और इसके युवा क्लबों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए जेएसए सीटीआर अभियान के आधार पर 623 जिलों में 31,150 गांवों को शामिल करने के लिए जागरूकता के सृजन हेतु युवा कार्यक्रम विभाग के साथ गठजोड़ किया गया है। दिसंबर 2020 में एनवाईकेएस द्वारा शुरू किए गए जागरूकता सृजन अभियान से जेएसए: सीटीआर अभियान में लोगों की व्यापक भागीदारी की नींव रखने में सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, एनडब्ल्यूएम द्वारा टेलीविजन पर 'जस्ट जूनियर' श्रृंखला के प्रसारण, 'मिशन लाइफ' आदि के प्रचार के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमारे देश की दो सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों यानी हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस के विनाइल रैपिंग के लिए रेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया गया है। ये ट्रेनें हमारे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जल संरक्षण के एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ चलती हैं।

iii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा स्थानीय भूजल मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें ग्रामीणों सहित हितधारकों को वर्षा जल संचयन तकनीकों और जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लोगों के मध्य जल संरक्षण के संदेश का प्रसार करने के लिए सूचना शिक्षा संप्रेषण कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं। विभाग की सोशल मीडिया टीम नियमित रूप से जल संरक्षण के बारे में सूचनात्मक पोस्ट बनाती है और विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रेस विज्ञप्ति भी नियमित रूप से पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के साथ साझा की जाती है।

*****

अनुलग्नक-I

"वर्षा जल संचयन" के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 671 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संचयन के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित विवरण में दिया गया है।					
वित्तीय वर्ष	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
पूरे किए गए कार्यों की संख्या	442	728	460	446	193
जल संरक्षण और जल संचयन पर व्यय (लाख रुपये में)	3,048.01	2,449.69	1,847.24	1,741.70	648.83

अनुलग्नक-।।

"वर्षा जल संचयन" के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 671 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)
2019-20	15.32
2020-21	3737.20
2021-22	1807.74
2022-23	826.01
2023-24	3562.69

****